HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No.59/2026

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 77/2026

Dhara S/o Sammi, Aged About 44 Years, R/o Kajota, Police Staton Laxmangarh, District Alwar (Raj.). Presently Confined In Central Jail, Alwar (Raj.)

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 2617/2025

In

S.B. Criminal Appeal no.3341/2025

1. Aakoob S/o Chandru, Aged About 44 Years, Resident Of Village Thekda Ka Baas Maujpur, P.s. Laxmangarh, Distirct Alwar (Accused Is Presently Confined In District Jail, Alwar, Dist.alwar)
2. Saddam S/o Fajru, Aged About 31 Years, Resident Of Village Thekda Ka Baas Maujpur, P.s. Laxmangarh, Distirct Alwar (Accused Is Presently Confined In District Jail, Alwar, Dist.alwar)
3. Juber S/o Dal Khan, Aged About 29 Years, R/o Village Kajota, P.s. Laxmangarh, Distirct Alwar (Raj.) (Accused Is Presently Confined In District Jail, Alwar, Dist.alwar)

----Appellants

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

S.B. Criminal Misc Suspension Of Sentence Application (Appeal) No. 60/2026

In

S.B. Criminal Appeal (Sb) No. 78/2026

Isub S/o Sibba, Aged About 49 Years, R/o Thekda Ka Baas, Police Station Laxmangarh District Alwar (Raj.) (At Present Confine In Central Jail Alwar)

----Appellant

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	श्री राकेश कुमार बैरवा वास्ते श्री आतिश जैन श्री अनुपम शर्मा श्री हर्षित पाराशर श्री संजय खान
For Respondent(s)	:	श्री जयप्रकाश तिवाड़ी, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

24-02-2026

अपीलार्थीगण/अभियुक्त**गण** की ओर से विचारण न्यायालय **अपर सेशन न्यायाधीश, लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर** द्वारा सैशन प्रकरण संख्या–**43/2017 सरकार बनाम आकूब वगैरह** में पारित निर्णय व दंडादेश दिनांक **11.12.2025** के विरूद्ध ये पृथक–पृथक तीनों सजा स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए हैं, जिसके द्वारा अभियुक्तगण को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर अर्थदण्ड सहित अधिकतम सात वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया गया है ।

तीनों सजा स्थगन प्रार्थना पत्र एक ही निर्णय से संबंधित होने से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क रहा है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का समग्र विवेचन व विश्लेषण किए बिना आक्षेपित निर्णय एवं दण्डादेश पारित किया गया है,

अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण विचारण के दौरान लगभग दो माह से अधिक समय से अभिरक्षा में रहे हैं, वर्तमान में वे निर्णय की दिनांक 11.12..2025 से अभिरक्षा में हैं, उनके द्वारा अपील में जो आधार लिए गए है उनके आधार पर अपीलार्थीगण दोषमुक्त होने योग्य हैं । प्रस्तुत अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना है । अतः प्रस्तुत सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जावें ।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक ने सजा स्थगन प्रार्थना पत्रों का विरोध किया।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपीलार्थीगण की अभिरक्षा अवधि एवं अपील के निस्तारण में समय लगने की संभावना को ध्यान में रखते हुए ये सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य प्रतीत होते हैं ।

परिणामतः अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत ये तीनों सजा स्थगन प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अपीलार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए **(अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए **(अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह इस न्यायालय में दिनांक 24**.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण **1. धारा पुत्र सम्मी 2. ईशब पुत्र शिब्बा, 3. आकूब पुत्र चन्दरू, 4. सद्दाम पुत्र फजरू व 5. जुबेर पुत्र दलखां** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

विचारण न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आक्षेपित निर्णय के तहत दिए गए दण्डादेश (sentence) का क्रियान्वयन इस अपील के अन्तिम निर्णय तक स्थगित रखा जाता है।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh Soni/51-53 sos